संख्याः 1588/9-3-21-612/21

प्रेषक,

डा० रजनीश दुबे,

अपर मुख्य सचिव

उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम
लखनऊ ।

2. निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ

नगर विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 18 अगस्त, 2021

विषयः- उ0प्र0 जल निगम के सरप्लस नियमित फील्ड कर्मचारियों को बॉडीशापिगं के आधार पर नागर निकायों में प्रतिनियुक्ति पर नियोजित किये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रदेश में जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण सुविधाए उपलब्ध कराया जाता है । उ०प्र० जल निगम को निर्माण कार्यो के परिर्वेक्षण, सर्वेक्षण व प्रकल्प विरचन के निमित प्रतिशत प्रभार (सेंटेज) प्राप्त होता है। उ0प्र0 जल निगम के प्रतिशत प्रभार में कमी किये जाने के फलस्परूप उसकी आय में कमी आयी। उक्त के अतिरिक्त जल निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपम्पों के रख-रखाव का कार्य ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित हो जाने के फलस्वरूप नियोजित कार्मिकों के लिये पर्याप्त कार्य नहीं रह गया। इसी प्रकार पेयजल हेतु निर्मित वाटर वर्क्स तथा नदी प्रदूषण नियंत्रण आदि हेतु स्थापित एस०टी०पी० के संचालन हेतु अनुरक्षण का दायित्व अन्यत्र हस्तान्तरित कर दिये जाने से इस कार्य हेतु नियोजित कार्मिकों के लिए पर्याप्त कार्य नहीं रह गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

परन्तु उनके वेतन भत्तों आदि का व्यय भार पूर्ववत बना रहा जिसके फलस्वरूप उ0प्र0 जल निगम की आर्थिक स्थिति लगातार विषम होती गयी। विषम आर्थिक स्थिति के कारण उ०प्र० जल निगम के सेवारत / सेवानिवृत्त कार्मिकों के वेतन / भत्तों तथा अन्य सेवा सम्बन्धी देयकों का भुगतान समय से नहीं हो पा रहा है, जिसके फलस्वरूप उ०प्र० जल निगम के कार्मिकों द्वारा मा० उच्च न्यायालय में अनेक रिट याचिकाए / अवमाननावाद योजित किये गये हैं।

2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार जल निगम समूह 'घ' के कुल 5175 नियमित फील्ड कर्मचारी कार्यरत है। जिसके सापेक्ष 1238 कर्मचारी सरप्लस है । निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार उ०प्र० की विभिन्न नागर निकायों में उ०प्र० पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत समूह 'घ' की 1665 रिक्तियाँ उपलब्ध है ।

3. उल्लेखनीय है कि स्वायत्त शासी निकायों/निगमों/उपक्रमों के कार्मियों को सरकारी विभाग में संविदा / बॉडीशापिंग के आधार पर कार्मिक विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा शासनादेश संख्या-1 /97-क-4-1998, दिनांक 11.11.1998 निर्गत किया गया है। कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 11.11.1998 में रूग्ण निगमों के सरप्लस कर्मचारियों को सरकारी विभाग में संविदा / बॉडीशापिंग के माध्यम से नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है । उ०प्र० जल निगम रूग्ण इकाई नहीं है अपितु एक निगमित निकाय है, जिसकी आर्थिक स्थिति वर्तमान सुद्वढ़ नहीं है ऐसी स्थिति में शासनादेश दिनांक 11.11.1998 में उल्लिखित व्यवस्था को शिथिल करते हुए उ०प्र० जल निगम के सरप्लस नियमित फील्ड कर्मचारियों को नगरीय निकायों में रिक्त पदों पर बॉडीशापिंग के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर नियोजित किये जाने कार्मिकों की आवश्यकता के निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

1- उत्तर प्रदेश जल निगम के चिन्हित सरप्लस कार्मिकों को विभिन्न नागर निकायों में समकक्ष रिक्त पदों के सापेक्ष बॉडीशापिंग के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर रखा जाय ।

2- नागर निकायों में बॉडीशापिंग के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने वाले उक्त कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति विषयक सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित आयु सीमा तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिनियुक्ति की अवधि की सीमा से मुक्त रखा जाय व तदनुसार उक्त कार्मिक नागर निकायों में आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त होने तक कार्य कर सकेंगे ।

3- उ0प्र0 जल निगम के उक्त कार्मिकों को उनके कार्य अनुभव एवं दक्षता के दृष्टिगत पदों की अर्हता के संबंध में यथावश्यकता शिथिलता प्रदान करते हुए उक्तानुसार नागर निकायों में सेवायोजित किया जाय ।

4- उक्त कार्मिकों को उत्तर प्रदेश जल निगम में अनुमन्य वेतन आदि के समतुल्य धनराशि का भुगतान सम्बन्धित निकायों द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम के माध्यम से किया जाय ।

5- उत्तर प्रदेश जल निगम के सरप्लस उक्त कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति अवधि को सेवा संबंधी / सेवानिवृत्तिक लाभों हेतु गणना की जाय ।

अतः प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम तथा निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० आपस में समन्वय स्थापित करते हुए उक्त निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करे ।

भवदीय

(डा० रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन ।
2. स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन ।
3. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, शासन ।
4. अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, उ०प्र० शासन ।
5. गार्ड फाइल |

आज्ञा से

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)

उपसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in